संख्या: 1095/XXIV-3/12/04(02)08

प्रेषक,

मनीषा पँवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांक: 18 अगस्त, 2012

विषय: राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों व राज्य में संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों को सोसायटी मोड में संचालित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/रा0गां0न0वि0/74753/2010–11 दिनांक: 21 दिसम्बर, 2010 एवं पत्रांक/रा0गां0न0वि0/21513/2011–12 दिनांक: 28 जून, 2011 तथा पत्रांक/रा0गां0न0वि0/26876/2011–12 दिनांक: 26 जुलाई, 2011 व पत्रांक/रा0गां0न0वि0/46662/2011–12 दिनांक: 17 सितम्बर, 2011 तथा पत्रांक/ रा0गां0न0वि0/68153/2011–12 दिनांक: 13 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के प्रत्येक जनपद के निर्बल व गरीब एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक जनपद में प्रतिभा केन्द्र के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालयों के पैटर्न पर एक–एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना किये जाने की राज्य सरकार की संकल्पना के दृष्टिगत राज्य में 08 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के पैटर्न पर ही दीवारीखोल बनचोरा (उत्तरकाशी), सुमाडी भरदार (रूद्रप्रयाग), सलियाणा गैरसैण (चमोली), अमसरकोट (बागेश्वर) एवं तुमडिया रेविन्स जसपुर (उधमसिंहनगर) में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालय संचालित है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग हेतु अलग से वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं होने एवं इन विद्यालयों का आवासीय स्वरूप होने के कारण इनकी आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां भिन्न होने के फलस्वरूप निदेशालय/मण्डल/जिला स्तर पर इन विद्यालयों के संचालन में कठिनाइयां आ रही है। अतः जवाहर नवोदय विद्यालयों के अच्छे परिणाम के दृष्टिगत इसी पैटर्न पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालन हेतु इन आवासीय विद्यालयों का वित्तीय, शैक्षिक एवं सामान्य प्रबंधन स्वायत्त समिति द्वारा किये जाने, राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के संचालन हेतु समिति को धनराशि सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने, विद्यालयों में अध्यापकों का चयन पृथक कैडर के माध्यम से कराये जाने एवं चयन किये जाने हेतु विशेष अर्हता तथा पृथक सेवा नियमावली बनाये जाने आदि कार्यों की सुगमता हेतु इन विद्यालयों को सोसायटी मोड में संचालित किया जाना है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्य के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों एवं लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों तथा राज्य में वर्तमान में संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों व भविष्य में यदि कोई अन्य आवासीय विद्यालय स्थापित होते है, को संलग्न संस्था का अनुज्ञाप एवं नियमावली में उल्लिखित साधारण सभा व प्रबन्ध कार्यकारिणी में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सोसायटी मोड में निम्नानुसार संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्रमशः–2–

(i)- लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित अन्य आवासीय विद्यालय एवं राज्य में वर्तमान में संचालित अन्य आवासीय विद्यालय तथा भविष्य में यदि कोई अन्य आवासीय विद्यालय स्थापित होते है तो वे भी 'उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति' के अधीन ही आयेगें।

(ii)- उक्त समिति का प्रधान कार्यालय विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून स्थित कार्यालय में होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा।

3- संस्था के उद्देश्य निम्नवत् होगें:-

<u>(अ) उद्देश्य</u>

(क) उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा उनके द्वारा अनुमोदित नाम से बालक/बालिकाओं को कक्षा 06 से 12 तक की उच्चस्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्चस्तरीय विद्यालयों का निर्माण, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।

(ख) उच्च शैक्षणिक मानकों के अनुरूप उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय में बालक/बालिकाओं को कक्षा 06 से 12 तक की उच्चस्तरीय गुणवत्तापरक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, व्यायाम व सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना।

(ग) विद्यालयों के निर्माण, संचालन और प्रबन्धन के लिए राज्य के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों से अपेक्षित अनुमति व अनुमोदन प्राप्त करना।

(घ) विद्यालय के प्रबन्धन व संचालन हेतु प्रबन्धक समिति एवं आवश्यकतानुसार अन्य समितियों का गठन कर इन गठित समितियों के कार्य संचालन व दायित्व विषयक नियम व उपनियम निर्धारित कर, निर्धारित नियम व उपनियमों के अनुसार समितियों के माध्यम से विद्यालय का प्रबन्धन व संचालन करना।

(ङ) विद्यालयों के संचालन हेतु प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा नियमावली गठित करना और सेवा नियमावली के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति व संस्था में शैक्षिक व्यवस्था बनाने के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना।

(च) श्यामा प्रसाद अभिनव विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन।

4- इन आवासीय विद्यालयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-

<u>(अ) प्रशासनिक व्यवस्था:-</u>

राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों की गुणवत्ता, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं हेतु 'उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति' की स्थापना की जायेगी। यह समिति इन विद्यालयों के संचालन की सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगी और विद्यालयों की आवश्यकतानुसार गुणावगुण के आधार पर प्रस्तावों पर निर्णय/अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वतन्त्र होगी। प्रबन्ध कार्यकारिणी और साधारण कार्यकारिणी सभा की बैठकों में प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत से लिये जायेगें। समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी के स्तर से अनुमोदित चयन प्रकिया के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा विभाग अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग से कार्यानुभव के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा अथवा निजी क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों के संचालन में अच्छा अनुभव रखने वाले आवेदकों में से संविदा के आधार पर लिया जा सकेंगा।

<u>(ब) वित्तीय व्यवस्था:-</u>

विद्यालयों के सामान्य प्रशासन हेतु गठित राज्य प्रकोष्ठ, उक्त आवासीय विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था, बजट आवश्यकता के आंकलन का प्रस्ताव 'उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति' के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

क्रमशः-3-

र्व्ययति बजट की व्यवस्था हेतु प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार निर्णय/अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वतन्त्र होगी। संस्था का बैंक खाता राज्य संस्था का बैंक खाता राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवासीय विद्यालय एवं वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला और संचालित किया जायेगा। अध्यक्ष प्रबन्ध कार्यकारिणी को उक्त खाता राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन अथवा राष्ट्रीय किसी अन्य बैंक को स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा।

शासन द्वारा वांछित धनराशि 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद के अन्तर्गत प्राविधान करते हुए स्वीकृत किया जायेगा। शासन द्वारा बज़ट स्वीकृत होने पर बजट प्राविधान के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा निदेशालय द्वारा धनराशि का एक मुश्त आहरण करते हुए चैक/बैंक ड्राफ्ट उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसको राज्य प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति के अनुमोदन से बैंक खाते में रखते हुए आवश्यकतानुसार विद्यालयवार विभाजन कर विद्यालय को बज़ट आवंटन करेगा। उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों एवं मानकों के अनुरूप करेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1095/XXIV-3/12/04(02)08 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4- निजी सचिव, मा० विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिय, उत्तराखण्ड शासन।
6- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डॅल पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
9- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
10- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11- गोपन अनुभाग, (मंत्रिपरिषद्) उत्तराखण्ड शासन।
12- निदेशक, एन०ओ०ई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13- निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
14- पी०पी०पी० विशेषज्ञ, पी०पी०सेल, उत्तराखण्ड शासन।
15- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30-30 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०एस०जंगपांगी)
अपर सचिव